बिहार–सरकार)
समाहरणालय, सीवान
(जिला कल्याण कार्यालय, सीवान)

दूरभाष संख्या– 06154–242166
ई–मेल– dwo-siw-bih@nic.in

अल्पकालीन निविदा आमंत्रण सूचना

निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 1169, दिनांक–16.05.18 एवं 4323, दिनांक–07.06.2016 के आलोक में शैक्षणिक–सत्र–2020–21 के लिए सीवान जिलान्तर्गत डॉ0 बी0आर0 अम्बेडकर अनुसूचित जाति बालिका आवासीय उच्च विद्यालय, कान्धवारा, सीवान में मेस संचालन एवं विभिन्न सामग्रियों की आपूर्ति हेतु मुहरबंद निविदा ख्याति प्राप्त निबंधित आपूर्तिकर्त्ताओं से जिला कल्याण कार्यालय, सीवान में दिनांक– ....25/6/20.......को ....3:00....... बजे अपराह्न तक आमंत्रित की जाती है। निविदा उसी दिन 03:00 बजे अपराह्न में जिला क्रय समिति के समक्ष अद्योहस्ताक्षरी प्रकोष्ठ में निविदादाताओं की उपस्थिति में खोली जायेगी। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। निविदा की शर्तें निम्नवत् है –

1. आवासीय विद्यालय में मेस संचालन हेतु तकनीकी शर्तें –

1. इच्छुक निविदाता को मेस संचालन हेतु अग्रधन के रूप में 50000/– (पचास हजार) रूपयें का बैंक ड्राफ्ट जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान के पदनाम से भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, सीवान में देय संलग्न करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता का मेस संचालन हेतु अद्यतन फूड एवं कैटरीन से संबंधित फूड लाईसेंस संलग्न करना होगा।
3. मेस संचालन हेतु श्रम विभाग से लेवर लाईसेंस संलग्न करना होगा।
4. वित्तीय निविदा में मेस संचालन हेतु विभाग द्वारा निर्धारित दर पर, निर्धारित मीनू या उससे अच्छे गुणवत्ता वाले मीनू के अनुसार आवासीय विद्यालयों के छात्राओं को भोजन, नास्ता एवं विशेष अवसर पर विशेष भोजन की आपूर्ति करनी होगी।
5. अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–2439, दि0–09.10.13 द्वारा मेस संचालन हेतु निर्धारित दर पर किया जाना है।
6. समय–समय पर वरीय पदाधिकारी के निर्देश के आलोक में आपूर्ति भोजन की जाँच खादय निरीक्षक (Food Inspector) द्वारा की जायेगी।
7. संबंधित निवादादाता को जी0एस0टी0 में निबंधित होने एवं लगभग 1 साल का अद्यतन त्रैमासिक रिर्टन भरने का साक्ष्य प्रस्तुत करना होगा।
8. निविदादाता को विगत्त तीन वर्षों का आयकर रिटर्न संलग्न करना होगा।
9. निविदादाता का वार्षिक टर्न ओभर 50 लाख से कम नहीं होनी चाहिए।
10. निविदादाता को पैन कार्ड एवं आधार कार्ड की छायाप्रति संलग्न करना होगा।
11. निविदा निर्धारण के समय निविदा–दाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि जिला स्तरीय क्रय समिति के समक्ष उपस्थित होगें।
12. निविदादाता को काली सूची में दर्ज नहीं होने संबंधी शपथ–पत्र देना होगा।
13. शर्तें समान रहने पर पूर्व में सरकारी संस्थानों/विधालयों में मेस संचालन का अधिकत्तम अनुभव रखने वाले निविदादाता को वरीयता दी जाएगी।
14. चयनित एजेन्सी को मेस संचालन हेतु मो0–500000.00 (पांच लाख) रू0 का बैंक ग्रारंटी संलग्न करना अनिवार्य होगा।
15. चयनित एजेन्सी को छात्रों की उपस्थिति हेतु स्वंय बॉयोमैट्रिक स्थापित करेंगे, जिसकी देख–रेख की जिम्मेवारी पूणतः एजेन्सी संचालक की होगी तथा बॉयोमैट्रिक से उपस्थिति दर्ज नहीं होने पर अभिश्रव का भुगतान नही किया जाएगा। अगर किसी दिवस बॉयोमैट्रिक खराब होता है, तो विशेष परिस्थिति में उक्त दिवस का उपस्थिति जिला कल्याण पदाधिकारी, सीवान के अनुशंसा पर ही मान्य होगा।
16. सभी शर्ते समान रहने पर एजेन्सी का चयन लौटरी के माध्यम से किया जाएगा।
17. कोई भी निविदा या दावा सीवान जिला न्यायायिक क्षेत्र के अधीन होगा।

वित्तीय शर्तें–

उपरोक्त तकनीकी शर्तो को पूरा करने के उपरांत वित्तीय लिफाफा खोला जायेगा। आपूर्तिकर्त्ता को वित्तीय लिफाफे में मदवार सभी कर सहित एवं परिवहन शुल्क सहित दर अंकित किया जायेगा। अलग से कोई राशि देय नही होगा।

मेस संचालन के गुणवत्ता में गड़बड़ी होने पर सुरक्षित जमा राशि, बैंक ग्रारंटी की राशि जब्त कर ली जायेगी एवं फर्म को काली सूची में डाल कर पंजीयन रद्द करने की कार्रवाई की जायेगी।

उपरोक्त निविदा Two Bid System पर आधारित होगा। इच्छुक एन.जी.आर./फर्म/आपूर्तिकर्त्ता तकनीकी शर्ते एव वित्तीय शर्तों दोनों लिफाफा अलग–अलग सील बंद (लाह से) लिफाफे में देना होगा। पुनः दोनों को एक बड़े लिफाफे के अन्दर डालकर निर्धारित समय सीमा के अंदर अधिसूचित पते पर निबंधित डाक/हाथों–हाथ डालें। लिफाफा पर पूर्ण पता अंकित करेगें। साथ ही प्रकाशित निविदा की शर्तों में परिवर्त्तन करने एवं निविदा रद्द करने का अधिकार जिला स्तरीय क्रय समिति को सुरक्षित रहेगा। विस्तृत जानकारी के लिए जिला कल्याण कार्यालय, सीवान से सम्पर्क किया जा सकता है एवं सीवान जिला के वेब–साईट–www.siwan.bih.nic.in पर भी देखा जा सकता है।

19.3.20
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सीवान

उप विकास आयुक्त
सीवान

बिहार–सरकार)
समाहरणालय, सीवान
(जिला कल्याण कार्यालय, सीवान)

दूरभाष संख्या– 06154–242166
ई–मेल– dwo-siw-bih@nic.in

निविदा आमंत्रण सूचना

सरकार के सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–2439, दि0–09.10.13 द्वारा मेस संचालन हेतु निर्धारित दर एवं निदेशक, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, कल्याण विभाग, बिहार पटना के पत्रांक–1029, दिनांक–24.03.2015 द्वारा संचालित आवासीय विद्यालय में मेस संचालन का मीनू विवरणी निम्नप्रकार है –

(क)	नास्ता	दो दिन– पूरी + सब्जी दो दिन– कचौड़ी + सब्जी तीन दिन– फ्राईड राईस + छोला प्रत्येक दिन– गाय का दूध 150 मी0लि0
(ख)	खाना	चावल+दाल+सब्जी+सलाद या पापड़ अथवा भुजिया
(ग)	शाम का नास्ता	तीन दिन– भरी हुई कचौड़ी / समोसा दो दिन– Boiled egg +मौसमी फल दो दिन–फल मौसमी+भूँजा
(घ)	रात्रि खाना	रोटी+सब्जी+दाल+खीर / सेवई
	विशेष भोजन	प्रत्येक माह में प्रत्येक रविवार – चिकेन शाकाहारी – पनीर (चिकेन के समतुल्य)

निविदादाताओं को यह स्पष्ट करना होगा कि किस गुणवत्ता का चावल, दाल एवं अन्य सामग्री का उपयोग किया जायेगा। **विभाग द्वारा भोजन (जलपान सहित) वर्ग–1 से 5 तक 1210/– रू0 प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह एवं वर्ग–6 से 12 तक 1610/– रू0 प्रति छात्र/छात्रा प्रति माह दर निर्धारित है।**

19.3.20
जिला कल्याण पदाधिकारी,
सीवान

13/3/20
उप विकास आयुक्त,
सीवान।